

**CERTIFICATE IN SOCIAL WORK AND
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

Term-End Examination

December, 2012

**MSW-032 : SOCIAL WORK AND CRIMINAL
JUSTICE**

Time : 3 hours

Maximum Marks : 100

-
- Note :** (i) *Answer any five of the following questions in about 300 words each.*
- (ii) *All questions carry equal marks.*
-

1. Discuss the natural rights of accused and arrested persons as guaranteed by Articles 20, 21 and 22 of the Indian Constitution. 20
2. Explain in brief the control and conflict theories of criminal behaviour. 20
3. Describe the Criminal Justice System in India. 20
4. Discuss the role of police in the investigation of cognizable and non-cognizable offences. 20
5. What are the current practices and procedures for withdrawal of prosecution ? 20

6. Enlist the rights of the accused at the time of arrest and during the prudence of the trial. 20
 7. Define probation. Discuss the objectives and philosophy behind probation. 20
 8. Explain the genesis of child protection laws. 20
-

समाज कार्य एवं दंड न्याय प्रणाली में प्रमाणपत्र

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2012

एम.एस.डब्ल्यू.-032 : समाज कार्य एवं दंड न्याय

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट : (i) निम्नलिखित प्रश्नों में से **किन्हीं पाँच** प्रश्नों के उत्तर **300** शब्दों में दीजिए।

(ii) **सभी** प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21 एवं 22 द्वारा प्रत्याभूत 20
अभियुक्त और अवरुद्ध व्यक्तियों के स्वाभाविक अधिकारों की
चर्चा कीजिए।
2. आपराधिक आचरण के नियन्त्रण और संघर्ष सिद्धान्तों को संक्षेप 20
में समझाइए।
3. भारत में आपराधिक न्याय व्यवस्था पर चर्चा कीजिए। 20
4. संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों की जाँच-पड़ताल में पुलिस की 20
भूमिका की चर्चा कीजिए।

5. अभियोग को वापस लेने के लिए मौजूदा तरीके और प्रक्रियाएँ क्या हैं ? 20
 6. गिरफ्तारी और परीक्षण के लम्बित रहने के समय अभियुक्त के अधिकारों को सूचीबद्ध करें । 20
 7. परिवीक्षा को पारिभाषित कीजिए । परिवीक्षा के उद्देश्यों और उसके पीछे के दर्शन पर चर्चा कीजिए । 20
 8. बच्चों के संरक्षण कानून की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए । 20
-